**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**क्रमांक ओ-31012/1/87-ओआरआई 27 मई 1987**

**संकल्प**

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार कुछ समय से रिफाइनरी प्रक्रियाओं, पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करने, प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने, विकसित करने और अपनाने के लिए "उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र" बनाने की आवश्यकता पर विचार कर रही है। जिसमें स्नेहक और योजक और उनका अनुप्रयोग, कच्चे तेल, उत्पादों और गैस का भंडारण प्रबंधन और परिवहन, और प्रौद्योगिकियों के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य शामिल हैं। उपरोक्त कार्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने "उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र" स्थापित करने का निर्णय लिया है जो इंजीनियरिंग और परामर्श संगठन सहित 11 उद्योगों की एक विशेष एजेंसी होगी। इस केंद्र का नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक करेगा और इसमें तेल उद्योग आदि से लिए गए विशेषज्ञ/अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्हें कार्यकाल के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। यह एक गवर्निंग काउंसिल के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा।
2. गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव होंगे, और इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव और सलाहकारों के साथ-साथ आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, एमआरएल के मुख्य कार्यकारी भी शामिल होंगे। सीआरएल, आईबीआर, ईआईएल, एलआईएल और कॉल उपयुक्त तकनीकी व्यक्तियों को परिषद द्वारा विशेष बैठक के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। केंद्र के कार्यकारी निदेशक गवर्निंग काउंसिल के सदस्य-सचिव होंगे।
3. उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्देश्य हैं:
4. भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करने, रिफाइनरी प्रक्रिया, स्नेहक और एडिटिव्स सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों और उनके अनुप्रयोग, कच्चे तेल, उत्पादों और गैस के भंडारण प्रबंधन और परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और अपनाने के लिए:

* राष्ट्रीय स्तर पर इसका अपना प्रत्यक्ष प्रयास है।
* देश और विदेश से परामर्श, सलाह, प्रौद्योगिकी खरीद आदि।
* देश और विदेश में तेल कंपनियों, संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और परामर्श संगठनों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों में संबंधित क्षेत्रों में गतिविधियों का अनुसरण करना, सहायता करना, सहयोग के साथ काम करना और गतिविधियों
* घटक इकाइयों के वर्तमान संचालन का विश्लेषण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और योजना के उद्देश्य से नई प्रौद्योगिकियों का
* स्थिति परियोजनाओं की पहचान, वित्त पोषण और निगरानी करना।
* वैज्ञानिक सलाहकार समिति और अन्य सरकारी निकायों/एजेंसियों के साथ समन्वय करना और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
* अनुसंधान दिशाओं की रूपरेखा तैयार करना और नए अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रायोजित करना।
* प्रौद्योगिकी अनपैक उम्र बढ़ने और प्रौद्योगिकी अवशोषण और आगे के विकास की प्रभावशीलता की निगरानी सहित परिवर्तन प्रक्रिया का कार्यान्वयन।

1. सहित विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता को एकत्रित/विकसित करना।

* सामग्री और संक्षारण,
* संचालन और सुरक्षा प्रथाएँ,
* प्रेरणा और रखरखाव अभ्यास,
* पर्यावरण और प्रवाह नियंत्रण,
* ऊर्जा और संरक्षण
* उत्पाद की गुणवत्ता और परीक्षण और अनुप्रयोग
* उपकरणीकरण और नियंत्रण
* भंडारण प्रबंधन और परिवहन
* प्रक्रियाएँ
* मानक
* उद्योग को सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम आदि

1. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, केंद्र-

* भविष्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोकार्बन प्रक्रियाओं, उत्पादों, संरक्षण सुरक्षा, उपकरण आदि की प्रौद्योगिकियों की सीमाओं की जांच करना और काम करना, और आवश्यक समझे जाने वाले विशिष्ट बुनियादी अनुसंधान का संचालन करना।
* जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करें।
* सूचना का प्रसार करें और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दें।
* देश और विदेश में संसाधनों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी का विकास और हस्तांतरण करना।
* भारत और विदेश में अपने व्यवसाय से संबंधित अनुबंध सेवाएँ लेना।
* नई प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने/अपनाने की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए मानव-शक्ति विकसित करने में सहायता करना।
* अन्य देशों की सहायता करना, काम करना और अनुभव एवं ज्ञान साझा करना।

1. उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य और जिम्मेदारियां होंगी:

* यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रमों को सलाह देगा और लागू करेगा और आयात अधिग्रहण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और उसके उपयोग के समन्वय के लिए मंत्रालय/उद्योग की कार्यकारी शाखा होगी।
* प्रौद्योगिकी के आयात में शुरुआत से ही उद्योग से जुड़े रहेंगे और उनके अवशोषण अनुकूलन और आरोपण के लिए कार्यक्रम विकसित करेंगे।
* वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सहयोग से विकास कार्यक्रमों की पहचान करेगा और उनकी समीक्षा करेगा तथा उनकी प्रगति की निगरानी करेगा।
* उद्योग द्वारा उपयोग के लिए केंद्रीकृत आधार पर प्रौद्योगिकी तकनीकी सेवाओं और सूचनाओं का अधिग्रहण।
* प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण और अतिरिक्त प्रयोगशाला पैमाने की जांच में पायलट संयंत्रों के वित्तपोषण के लिए प्रक्रिया डिजाइन विकसित करना, उसके बड़े पैमाने के उद्देश्यों और उसके उपयोग की तारीख तय करना। जब भी आवश्यक हो जोखिम पूंजी को अंडरराइट करें।
* ओआईडीबी के माध्यम से पहले वित्त पोषित सभी कार्यक्रमों की निगरानी करेगा।

ड़) कार्यकारी निदेशक, तकनीकी और अन्य अधिकारी और सहायक कर्मचारी कार्यकाल/प्रतिनियुक्ति के आधार पर उद्योग और सरकार से लिए जाएंगे। आवश्यक समझे जाने वाले तेल कंपनियों के विशेषज्ञों को भी अनुबंध के आधार पर सलाहकार/सलाहकार के रूप में नियुक्त

1. केंद्र एक अलग सचिवालय वाला संगठन होगा। केंद्र का व्यय तेल उद्योग विकास बोर्ड से अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ये अनुदान केंद्र के व्यय के संबंध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आर एंड पी डिवीजन को हस्तांतरित
2. तेल उद्योग विकास बोर्ड केंद्र द्वारा अनुशंसित विकासात्मक व्यय, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के वित्तपोषण, परियोजना अध्ययन, जांच, प्रयोगशाला/पायलट और अर्ध-वाणिज्यिक संयंत्रों/क्षेत्र कार्यक्रमों आदि को पूरा करने के लिए अनुदान भी प्रदान करेगा। वर्ष 1987-88 के दौरान ऐसे अनुदानों के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किये जायेंगे।
3. उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र नई दिल्ली में स्थित होगा और शुरुआत में इसे इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन (आरएंडपी) डिवीजन द्वारा प्रशासनिक लेखा सहायता आदि प्रदान की जाएगी।

(टी.एन.राव)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

टेलीफोन नंबर। 381052

**आदेश**

आदेश दिया गया है कि इस संकल्प की एक प्रति इन्हें भेजी जाए:

* पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी
* निदेशक (आरएंडपी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आरएंडपी प्रभाग) नई दिल्ली
* सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड, 210, अंसल भवन कस्तूरबा गांधी, नई दिल्ली
* कार्यकारी निदेशक, तेल समन्वय समिति, कैलाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी, नई दिल्ली
* पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग

टी.एन.राव)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

टेलीफोन नंबर। 381052